

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2001

का.मा. 1067 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची के क्रम संख्यांक 73 के सामने विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 का, उस अनुसूची से लोप करती है।

> [फा. सं. एन एच-14012/2/99-पी.एल.] एस. सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) और अतिरिक्त सचिव

नोट :— उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग, दिनांक 6 जनवरी, 1999 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं.का.आ. 7 (अ) के तहत अनुसूची में शामिल किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2001

S. O. 1067(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby omits the National Highway No. 203 specified against serial number 73 in the Schedule to the said Act from that Schedule.

[F. No. NH-14012/2/99-PL]

S.C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

E:— The above National Highway was included in the Notification S.O. 7(E) published vide Extraordinary Gazette dated 6th January, 1999.

3378 GI/2001

अविस्चना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2001

का आ . 1068 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मीचे सारणी के स्तंभ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट राजमार्ग को एक राष्ट्रीय राजमार्ग कोषित करती हैं।

'छक्त राजमार्ग जो अब एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में यथा उपदर्शित उसकी क्रम संख्यांक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और वर्णन उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

_	- R .
2017	uπ
7117	-11

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	
"73	203	203 ठड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर भुवनेस्वर के मिकट अपने जंक्शन से आरम्भ होने वाला और पुरी को जोड़ते हुए बाझदन्डा में समाप्त होने वाला राजमार्ग''	

[फा. सं. एन एच-14012/2/99-पी एण्ड एम] एस. सी. शर्मा, महामिदेशक (सडक विकास) और अतिरिक्त सचिव

नोट :----राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची सरकारी राजपत्र में ठक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1180 दिनांक 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 766 (अ) दिनांक 8 अगस्त, 2001 के द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2001

S.O. 1068(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway specified in the columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highway, now declared to be national highway, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act, with the Serial No., National Highway number and the description thereof, as indicated in the said Table.

	TABLE		
Serial No.	National Highway No.	Description of National Highway	
(1)	(2)	(3)	
"73	203	The highway starting from its junction with National Highway No. 5 near Bhubaneshwar and connecting Puri and terminating at Badadanda in Orissa"	

[F. No. NH-14012/2/99-P & M]

S.C. SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Note:--- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act vide Notification No. S.R.O. 1180 dated the 4th April, 1957 and was last amended vide Notification No. S.O. 766 (E) dated 8th August, 2001.